



प्रेस नोट

संख्या-2026 / 59

दिनांक- 24 सितंबर 2026

देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 14 जुलाई 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची के आधार पर दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई गतिमान है। आगामी 3 अक्टूबर को राज्य में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान लगभग 1 लाख 73 हजार फार्म 7 प्राप्त हुए हैं जिसमें लगभग 95 हजार से अधिक "इन एलिजिबल" मतदाताओं के फार्म 7 भी शामिल हैं।

"इन एलिजिबल" मतदाता ऐसे मतदाता हैं जिनके द्वारा सुनवाई में अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए या स्वयं अथवा परिजनों के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सके। ऐसी स्थिति में सम्बंधित ईआरओ/ईईआरओ द्वारा ईसीआई नेट के माध्यम से उन्हें "इन एलिजिबल" मार्क कर दिया गया जिसका सिस्टम द्वारा फार्म 7 Autogenerate कर डिलिशन के लिए मार्क किया गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जानकारी दी गई कि प्रदेश में सभी राजनैतिक दलों के साथ विधानसभा स्तर पर ईआरओ, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/डीईओ एवं प्रदेश स्तर पर सीईओ द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं एवं बैठक में सभी जानकारी साझा की जा रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जानकारी दी गई कि "इन एलिजिबल" श्रेणी में दर्ज नागरिक 3 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद भी फार्म 6 भर सकते हैं, आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत कर चुनाव से पहले मतदाता सूची में विधिवत शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा स्पष्ट किया कि प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पूर्ण रूप से नियमानुसार एवं पारदर्शी तरीके से सम्पादित किया जा रहा है इसके साथ ही सभी डीईओ/ईआरओ को अन्तिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।
